RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 406/2014

Rookmani Devi And Others

----Appellant

Versus

Smt Madhuri Sharma

----Respondent

Connected With

S.B. Civil First Appeal No. 24/1996

Smt.kani Devi

----Appellant

Versus

Smt.rukmani Devi

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. M.M. Ranjan, Sr. Adv. with Mr. Yashvardhan Tolani, Adv. Ms. Harsita Sharma, Adv. Mr. Mangal Chand Taylor, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. MC Taylor, Adv. Mr. M.M. Ranjan, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

05/05/2026

S.B. Civil First Appeal No. 406/2014 :-

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थना पत्र 5250/2025 आदेश दिनांक 09.01.2026 के द्वारा निस्तारित किया जा चुका है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2176/2026 पर बहस करने के लिए तैयार है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण का कथन है कि उनके द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का कानूनी रूप से जवाब आज प्रस्तुत किया गया है तथा बहस हेतु समय चाहते हैं।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या 9, जयपुर महानगर प्रथम में निष्पादन कार्यवाही संख्या 24/96 श्रीमती रुक्मणी देवी व कानी देवी में आदेश दिनांक 23.04.2026 पारित कर दिनांक 06.05.2026 तक कब्जा दिलवाये जाने का आदेश दिया है, यदि कब्जा वारंट निष्पादित कर दिया जाता है तो यह अपील निष्फल हो जाएगी। अतः आगामी तारीख पेशी तक कब्जा वारंट रोका जाए।

प्रत्यर्थीगण अंतिम रूप से बहस के लिए तैयार है।

दोनों पक्षों की सहमति पर प्रकरण दिनांक 11.05.2026 को सूचीबद्ध किया जावे, तब तक कब्जा वारंट की पालना नहीं कराई जाए तथा यदि कब्जा वारंट जारी हो गया है तो उसे अदम तामील मंगवाया जाए।

S.B. Civil First Appeal No. 24/1996 :-

प्रार्थना पत्र संख्या 1/2025 पर सुना गया।

दोनों पक्षों की सहमति पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र में अंकित मृतका रुक्मणी देवी के विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

प्रकरण का संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया जावे।

प्रार्थना पत्र संख्या 1/26 व 2/26 पर सुना गया।

उभयपक्षों की प्रार्थना व सहमति पर उक्त दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं।

प्रकरण दिनांक 11.05.2026 को सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

NIKITA /2-3